

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906
No. 293] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

अधिसूचना

का. आ. 464(अ) :—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय तिलहन और दलसर्पित तेल
विज्ञान बोर्ड, अधिनियम, 1983 (1983 का 29) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, संसद् सचिव श्री ब्रजमोहन मोहन्ती और श्री पीताम्बर सिन्हा
के लोक सभा द्वारा और संसद् सदस्य श्री चिम्मनलाल अमीचन्द भाई के राज्य सभा
द्वारा किए गए निर्वाचन को अधिसूचित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत

के राजपत्र, (असाधारण), भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2), तारीख 8 मार्च, 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 153(अ), तारीख 8 मार्च, 1984 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि 4 के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित :—

- 4क. श्री ब्रजमोहन मोहन्ती,
संसद् सदस्य—लोक सभा द्वारा निर्वाचित
- 4ख. श्री पीताम्बर सिन्हा,
संसद् सदस्य—लोक सभा द्वारा निर्वाचित
- 4ग. श्री चिम्मन लाल अमी चन्द भाई मेहता ।
संसद् सदस्य—राज्य सभा द्वारा निर्वाचित ।

[फा. सं. 25-7/82-सी ए-2 ओ डी बी/सी ए 6]

के. सी. एस. आचार्य, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 28th June, 1984

NOTIFICATION

S.O. 464(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983 (29 of 1983), the Central Government hereby notifies the election of Shri Braja Mohan Mohanty and Shri Pitamber Sinha, Members of Parliament, by the House of the People and Shri Chimanlal Amichandbhai Mehta, Member of Parliament by the Council of States and for that purpose amends the Government of India notification in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. S.O. 153(E) dated the 8th March, 1984 published in the Gazette of India

(Extra-ordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th March, 1984 as follows namely :—

In the said notification, after entry 4, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

“Elected under clause (e) of sub-section (4) of section 4 :—

- | | |
|---|---|
| 4A. Shri Braja Mohan Mohanty,
Member of Parliament. | Elected by the
House of the
People. |
| 4B. Shri Pitamber Sinha,
Member of Parliament. | Elected by the
House of the
People. |
| 4C. Shri Chimanlal Amichandbhai Mehta,
Member of Parliament. | Elected by the
Council of States.” |

[File No. 25-7/82-CA. II (ODB)|CA. VI]

K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.

